

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना जयपुर के सैक्टर-26, जोन-266 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना (केवल सरकारी स्कूली शिक्षकों के लिए) एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना (केवल पुलिस विभाग में सेवारत कॉन्स्टेबल/हैड कॉन्स्टेबल के लिए) के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ, के बहुमंजिले (बैसमेंटस्टिल्ड 12) 576 फ्लैट्स हेतु दिनांक 20.12.2019 से प्रारम्भ की गई पंजीकरण योजना की वरियता लॉटरी दिनांक 17.06.2020 को साय: 3.00 बजे "वेब बेस्ड प्रणाली" द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित की जानी है। उक्त वरियता लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	12.06.2020, सांय 5:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.06.2020, सांय 6:00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	16.06.2020, सांय 5:00 बजे
4	वरियता लॉटरी का आयोजन	17.06.2020, साय: 3:00 बजे से

नोट :- (1) यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित वरियता लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (2) वरियता लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत्त-प्रथम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

Samwad/C/0000/2020-21

उप आवासन आयुक्त
वृत्त-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर